

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

है। अतः तहसीलदार गंगापूर सिटी को इस न्यायालय की डिक्री दि० 14-6-16 की पालना हेतु लिखा जावे कि वे उपरोक्त डिक्री में दर्ज भूमि में काविया का $\frac{1}{3}$ हिस्सा, प्रहलाद पुत्र मूड्या व छोटी पाली स्व० मूड्या का $\frac{1}{3}$ हिस्सा व प्रभु पुत्र धाँव्यू का $\frac{1}{3}$ हिस्सा दर्ज करें। जिन स्वातेदारों के नाम भूमि पूर्व से रहन दर्ज है वह इन्डज ~~अथवा~~ उनके स्वाते पर यथावत रहेगा।


उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

नम्बर
अहका
हुक्म
में

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खेडाबाढरामगढ

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

संतरा पुत्र टूंडा पत्नी हंसराज बैरवा निवासी खेडाबाढरामगढ तह0 गंगापुर सिटी -वादिया
बनाम

1. मूडया उर्फ मूलचंद पुत्र धांधू बैरवा निवासी खेडाबाढरामगढ तह0 गंगापुर सिटी
2. प्रमू पुत्र धांधू बैरवा निवासी खेडाबाढरामगढ तह0 गंगापुर सिटी
3. राजस्थान राज्य जरिए लेंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
4. भूमि विकास बैंक जरिए शाखा प्रबंधक गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा

नुकदमा नं. - 158/2007

वादी की ओर से वादिया संतरा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी प्रभूलाल की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 14.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार वादिया को भूमि ख0न0 5, 8, 10, 11, 20, 22, 21/464, 21/467 कुल रकबा 2.23 हेक्टर ग्राम खेडाबाढरामगढ में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 14.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

दी गई



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	